मंत्रालय, भोपाल

----0----

क्रमांक एफ–5/16/2000/10–3 भोपाल, दिनांक दिसम्बर, 2005

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0 भोपाल

विषयः– नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की राशि वसूल करने के संबंध में ।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 8/9/05.

----0----

उपरोक्त विषय में इस विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 8/9/2005 के तहत वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु उपलब्ध कराई जा रही वन भूमि के लिए वनों की साइट क्वालिटी व घनत्व के आधार पर नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि का निर्धारण किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 26/9/2005 के अनुरूप शासकीय परियोजनाओं के द्वारा वन भूमि पर निम्न निर्माण कार्यो को नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की वसूली से इस शर्त के साथ मुक्त रखा जाता है कि यदि मान. सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें नेट प्रेजेन्ट वैल्यू से मुक्त नहीं किया तो तत्काल ही एक मुश्त राशि उनके द्वारा एन.पी.वी. में जमा कर दी जाएगी। एन.पी.वी. की राशि जमा करने से मुक्त करने के पूर्व इस आशय का उनसे लिखित वचनपत्र प्राप्त किया जाए :–

1. शासकीय चिकित्सालय
2. डिस्पेंसरी
3. पशु चिकित्सालय
4. सभी प्रकार के शासकीय शाला भवन
5. ग्रामीण सचिवालय
6. आंगनवाड़ी
7. ग्रामीण पेयजल से संबंधित निर्माण, हैंडपंप या उसके पास का चबूतरा, ओवरहेड. टैंक, पाईप लाईन
8. विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित चेकिंग नाके (आबकारी, परिवहन तथा पुलिस)

(सतीश त्यागी)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

13

पृ0क्रमांक एफ–5/16/2000/10–3 भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2001

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/पशुपालन विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/खनिज साधन विभाग/ऊर्जा विभाग/लोक निर्माण विभाग/राजस्व विभाग भोपाल
2. मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), म0प्र0 भोपाल
3. समस्त वन संरक्षक, मम0प्र0
4. समस्त कलेक्टर, म0प्र0
5. समस्त वनमण्डलाधिकारी,म0प्र0
6. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग